

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 3454-654

दिनांक :- 04/02/19

आयुक्त, नगर निगम/परिषद समस्त।  
अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय:- सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट नियम 2016 की पालना के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- 1. माननीय मंत्री महोदय की बैठक कार्यवाही विवरण पत्रांक 667 दिनांक 21.01.2019  
2. नगरीय विकास विभाग पत्र दिनांक 24.01.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, कि सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट नियम -2016 की अनुपालना में राज्य के समस्त शहरों में ठोस कचरा प्रोसेसिंग एवं निस्तारण हेतु चिन्हित स्थलों का विवरण निम्न प्रारूप के अनुसार 3 दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे साथ ही निदेशालय के SWM प्रकोष्ठ द्वारा स्थापित ई-मेल आईडी swmdlb@gmail.com के माध्यम से निकाय की ई-मेल आईडी के "गूगल ड्राइव पर शेयर विद मी" में निकाय के नाम के साथ SWM (उदाहरणार्थ SWM\_TONK) का फोल्डर में दी गई ऐक्सल फाईल व अन्य को भरा जाना सुनिश्चित करे।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्न :- प्रारूप।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 04/02/19

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 3646-850  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. मुख्य अभियंता निदेशालय।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त।
7. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)

मुख्य अभियंता

P/c

अति आवश्यक

प्रारूप

नगरीय निकाय का नाम \_\_\_\_\_

सॉलिड वेस्ट हेतु जमीन की उपलब्धता एवं कुल एरिया (वर्ग मीटर में)	आवासीय क्षेत्र से दूरी (किलो मीटर में)	भूमि का खसरा संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	भूमि का मेप नगरीय मानचित्र में	latitude	longitude
				मानचित्र में स्थिति रेखांकित कर भेजे		

हस्ताक्षर  
आयुक्त/अधिशायी अधिकारी  
(सम्बन्धित नगरीय निकाय)